न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिटपुरी बनाम निज्जर S/o खड़कल्ली मेव

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सॅख्या :- 86/2018

निर्णय दिनाँक :- 13/4/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम टिटपुरी की आ.ख.न. 206 कुल रकबा 0.66 किस्म जमीन गै.मु.रास्ता मे से 0.01 रकबे पर श्री निज्जर S/o खड़कल्ली मेव पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लकड़ी ईंधन डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिटपुरी द्वारा दिनाँक 14.2.18 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी॰ टिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी निज्जर पुत्र खड़कल्ली जाति मेव निवासी टिटपुरी को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... मय वकील उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 206 रकबा 0.66 में से 0.01 रकबे किस्म गै.मु. रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.97 का 50 गुणा 55 रु. रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टिटपुरी भू.अ.निरी॰ टिटपुरी .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)